

बिहार सरकार  
खान एवं भूतत्व विभाग

सं०सं०-प्र०-०१-रा० (वि०) १६/१७-...../एम०, पटना, दिनांक.....  
प्रेषक,

सुशील कुमार,  
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव,  
सहकारिता विभाग,  
बिहार, पटना।

विषय:- श्री श्यामा नन्द ठाकुर, (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय, वैशाली की सेवा वापस करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि श्री श्यामा नन्द ठाकुर, (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय, वैशाली की मिलीभगत अवैध खनन करने वालों, राजस्व की क्षति, अवैध परिवहन में जिला खनन कार्यालय, वैशाली में पदस्थापन के दौरान प्रतीत हुई है, जिसके कारण उनकी सेवा विभाग में बनाये रखना कार्यहित एवं प्रशासनिकहित में नहीं है।

अतः निदेशानुसार श्री श्यामा नन्द ठाकुर, (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय, वैशाली की सेवा तत्काल प्रभाव से वापस की जाती है तथा उनके विरुद्ध निलंबन/विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की जाती है।

श्री ठाकुर के विरुद्ध कृत कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-...../एम०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, वैशाली/उप निदेशक, अंचल कार्यालय, तिरहुत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-...../एम०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- श्री श्यामा नन्द ठाकुर, (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री ठाकुर को निदेश दिया जाता है कि जिला खनन कार्यालय, वैशाली का प्रभार त्यागते हुए सहकारिता विभाग में अविलंब योगदान देना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-...../एम०, पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

357  
5/2/18

सरकार के अवर सचिव।